युनिवर्सिटी में सपोर्ट प्राप्त करना, ऑन्गोइंग स्पेशल कन्सिडरेशन

स्टडी एंड लर्निंग सैन्टर

फोन/ 9925 3600

विद्यार्थी शिकायतें

अपने स्कूल के विद्यार्थी शिकायत (स्टूडैंट कम्पलेन) लियासन अधिकारी से संपर्क करें।

www.rmit.edu.au/students/complaints

शिकायत करने के लिये - आप सलाह हेतु विद्यार्थी युनियन से भी मिल सकते हैं

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सूचना तथा सपोर्ट (ISIS)

फोन/ 9925 2708

www.rmit.edu.au/internationalsupport

स्कॉलरशिप्स तथा फाइनैन्स

फोन/ 9925 2811

www.rmit.edu.au/finance

इन सेवाओं हेतु जाने के अतिरिक्त समय (additional drop in time) के लिये अपने कैम्पस के हब में पता करें।

www.rmit.edu.au/students/services

संबंधित पॉलसी तथा सलाह

इस विषय के बारे में निम्नलिखित सहित, RMIT युनिवर्सिटी की विभिन्न प्रकार की पॉलसीज हैं:

- आंकलन (assessment) पॉलसी
- स्पेशल कन्सीडरेशन पॉलसी
- शैक्षणिक प्रगति (उच्च शिक्षा)
- असंतुष्टिकारक परफोर्मैंस
- शैक्षणिक प्रगति: Onshore (देश में) अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिये प्रक्रियायें

इन सबके बारे में जानकारी www.rmit.edu.au/policies पर देखी जा सकती है।

यह पॉलसीज इस पृष्ठ पर दी गई पॉलसीज की सूची के भीतर मिल सकती हैं। इन पॉलसीज के बारे में आपके कोई प्रश्न हों तो उनके बारे में आप एक Student Liaison Officer (स्टूडैंट लियासन अधिकारी) से बातचीत कर सकते हैं।

अन्य विद्यार्थी अधिकार पत्रक

- परीक्षायें तथा आपके अधिकार
- आंकलन के विरुद्ध अपील
- शिकायत कैसे की जाये
- संकट में होना
- अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी

अस्वीकरण वक्तव्य

अतिरिक्त सहायता के लिये, किसी Student Union Front Office में जायें और एक Student Liaison Officer से बात करें।

City Higher Ed:
Building 8, Level 3
ph: 03 9925 5004

Carlton Campus:
Building 57, Level 4
ph: 03 9925 4769

Brunswick:
Building 514, Level 2
ph: 03 9925 9478

Bundoora:
Building 204, Level 1
ph: 03 9925 7226

अथवा, अपने केस के बारे में विस्तृत सूचना student.rights@rmit.edu.au को भेजें

पूछताछ के लिये 9925 5004 पर फोन करें।

यदि जरुरत हो तो, एक Student Rights Officer के साथ आपका अपोइंटमेंट तय किया जायेगा।

क्या यह पत्रक सहायक रहा है? Student Union ज्वाइन करें और अपने अधिकारों को सुधारने के संघर्ष का हिस्सा बनें!

RUSU
RMIT UNIVERSITY STUDENT UNION

अन्यथा जाने जाते हैं:

- **मैं अपनी परीक्षा के समय बीमार था तथा मैंने बहुत खराब किया!**
- **मैं बीमार हूँ और कल मेरी परीक्षा है!**
- **मैं अपना असाइनमैंट समय नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार था!**
- **मेरे जीवन में गंभीर व्यक्तिगत बातें चल रहीं हैं तथा इससे मेरी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है!**

यह फॉर्म, स्पेशल कंसीडरेशन के लिये आवेदन की प्रक्रिया में आपकी सहायता के लिये है। स्पेशल कंसीडरेशन यह सुनिश्चित करने के लिये उपलब्ध है कि जब आपने बीमारी अथवा व्यक्तिगत समस्याओं जैसे अन्य मुद्दों का सामना किया हो तथा उनके कारण आपकी अध्ययन क्षमता पर असर पड़ा हो तो आपका उचित आंकलन किया जाये। यदि आपका आवेदन सफल रहा तो, आपके स्कूल या विभाग द्वारा आपके आंकलन में बदलाव किया जा सकता है।

1. एक Application for Special Consideration फॉर्म प्राप्त करें

यह फॉर्म्स हब अथवा इंटरनेट पर: http://mams.rmit.edu.au/8a5dgcaqvaes1.pdf पर उपलब्ध हैं

2. अपना आवेदन समय पर जमा करायें

यह आवेदन आंकलन के 2 कार्यदिवसों के भीतर जरुर जमा करा दिया जाना चाहिये तथा संबंधित प्रमाण उसके 5 दिन बाद तक जमा कराये जा सकते हैं (आप 2 कार्यदिवसों की अवधि से बाहर हैं या नहीं यह जानने के लिये नीचे दी गई जानकारी देखें)। यदि किसी असाइनमैंट के लिये आपको सात दिन से कम का एक्सटैंशन चाहिये तो, आप इसके लिये एक अलग फॉर्म द्वारा आवेदन लगा सकते हैं - नीचे दी गई अन्य उपयोगी सूचनायें देखें।

यह आवेदन आंकलन के 2 कार्यदिवसों के भीतर जरुर जमा करा दिया जाना चाहिये तथा संबंधित प्रमाण उसके 5 दिन बाद तक जमा कराये जा सकते हैं (आप 2 कार्यदिवसों की अवधि से बाहर हैं या नहीं यह जानने के लिये नीचे दी गई जानकारी देखें)। यदि किसी असाइनमैंट के लिये आपको सत दिन से कम का एक्सटैंशन चाहिये तो, आप इसके लिये एक अलग फॉर्म द्वारा आवेदन लगा सकते हैं - नीचे दी गई अन्य उपयोगी सूचनायें देखें।

3. यदि मेडिकल या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आवेदन कर रहे हैं

सेक्शन B (इम्पैक्ट असैसमैन्ट वक्तव्य) भरने के लिये, स्पेशल कंसीडरेशन एप्लीकेशन फॉर्म अपने डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक अथवा हैल्थ प्रेक्टिशनर के पास ले जायें। RMIT द्वारा इस फॉर्म के स्थान पर मैडिकल सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जायेगा।

फॉर्म भरना

पहला भाग

विद्यार्थी द्वारा यह वक्तव्य देने कि बिजाय कि वह बीमारी से पीड़ित है, यह चिन्हि लगाना बेहतर होता है कि डॉक्टर द्वारा बीमारी की पहचान की गई है। हो सकता है ऐसा करना उन मामलों में संभव नहीं हो जहाँ कोई स्पष्ट लक्षण नजर न आ रहे हों। यदि वह बीमारी गैस्ट्रोएन्ट्राइटिस (आंत या पेट में जलन), फ्लू या डायस्मेनोर्रिया (दर्दयुक्त महावारी) अथवा कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें ओवर द काउंटर (बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के) मिलने वाली दवा से सहायता मिलती हो तो, आपको अपनी बीमारी के प्रभाव के बारे में और जानकारी सहित उसके लक्षणों का विस्तृत विवरण अटैच करना पड़ सकता है। (जैसे कि, यदि वह दवा अप्रभावी थी तो, आप यह बात फॉर्म में लिख सकते हैं)। स्पेशल कंसीडरेशन पैनल द्वारा साधारणतया इन बीमारियों को गंभीर नहीं माना जाता।

कंडीशन अवधि सेक्शन

यदि आप अपना फॉर्म, आंकलन के कुछ समय पहले जमा करा रहे हैं तो, डॉक्टर को यह चिन्ह लगाना चाहिये कि बीमारी निरंतर चल रही है अथवा लघुकालीन है (यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका आंकलन 3-6 महीने के भीतर है)।

इम्पैक्ट असैसमैन्ट सेक्शन

'इम्पैक्ट असैसमैन्ट सेक्शन' में, आपके डॉक्टर को कम से कम 'Severe Impact' खाने पर चिन्ह लगाना चाहिये। यह महत्वपूर्ण है। यदि आपका डॉक्टर 'Moderate' या उससे कम पर चिन्ह लगाता है तो, आपका आवेदन सफल नहीं होगा।

इम्पैक्ट विविरण सेक्शन

यदि आपका आंकलन एक परीक्षा का था तो, आपका ईलाज करने वाले हैल्थ प्रोफेशनल को इम्पैक्ट विविरण सेक्शन में 'Was unable to complete the exam due to the illness' जैसा कुछ लिखना चाहिये।

यदि आप यह कहते हैं कि आप ट्रेवल करने में सक्षम नहीं थे तो सुनिश्चित करें कि आप उस दिन डॉक्टर के भी नहीं गये थे। इसे एक असंगत बात माना जायेगा और यह आपके विरुद्ध जायेगा।

4. यदि सहानुभूति/गैर-मैडिकिल आधारों पर आवेदन कर रहे हों

भाग 2 में दिये गये स्थान को भरें तथा तथा अपनी परिस्थितियों के बारे में विस्तार से समझायें। जो परिस्थितियां सहानुभूति आधारों के अन्तर्गत आती हैं वे हैं, परिवार में किसी निकट व्यक्ति की मृत्यु, परिवार/रिश्ता टूटना, एक अपराध का पीड़ित होना, अचानक से आय/नौकरी खो बैठना, घरेलू व्यवस्थाओं में गंभीर बाधा, 'बाहरआना' (coming out), गृहविहीनता तथा जेल जाना (imprisonment)।

अपने कारणों को लिखते समय थोड़ा वक्त लें। सारे संबंधित विविरणों सहित, अपने कारणों को स्पष्ट रुप से लिखें। स्पष्ट करें कि कैसे इन परिस्थितियों से अध्ययन की आपकी क्षमता प्रभावित हुई। जहाँ भी संभव हो तिथियां बतायें। कागजात वाले प्रमाण सप्लाई करें। यह महत्वपूर्ण है। पैनल को, मृत्यु प्रमाण पत्रों, पुलिस रिपोर्ट्स, बैंक रेकोर्ड्स, काउंसलर्स द्वारा दिये गये वक्तव्यों जैसे प्रमाणों से और अधिक विश्वास होगा। काउंसलिंग सेवा के काउंसलर्स को स्पेशल कन्सिडरेशन आवेदनों के लिये पत्र तैयार करने का अनुभव है। RUSU द्वारा, गैर मेडिकिल आधारों पर स्पेशल कन्सीडरेशन के लिये आवेदन लगाने में आपकी सहायता हेतु एक पत्र टेम्पलेट बनाया गया है। वह www.su.rmit.edu.au/student-rights पर मिल सकता है।

महत्वपूर्ण बातें

- सुनिश्चित करें कि फॉर्म में आपने जो बाते लिखी हैं वे समान (consistent) हों। पैनल किसी भी तरह की असमानताओं की तलाश में रहेगा।
- अपने सबमिशन (आप जो जमा करायें) की एक फोटोकॉपी बना लें
- अपने व्याख्याता (लैक्चरर) से कहें कि आप स्पेशल कन्सीडरेशन के लिये आवेदन लगा रहे हैं
- आपको RMIT को वो बातें बताना जरुरी नहीं है जिनके बारे में बात करने में आप कम्फर्टेबल महसूस नहीं करते। यदि आपके पास, एक डॉक्टर अथवा RMIT काउंसलिंग सेवा जैसी गोपनीयता बरतने वाली सपोर्ट सेवा से मिला कोई पत्र हो तो, वो आपकी समस्याओं के प्रभाव का वर्णन कर सकता है कि आपकी समस्यायें गंभीर किन्तु गोपनीय हैं।

5. अपना आवेदन हब में जमा करायें। यदि आप फॉर्म को स्कैन कर पायें तो, आप उसे special.consideration@rmit.edu.au पर ईमेल कर सकते हैं

यदि मैं 48 घंटों की समय सीमा से बाहर हो चुका हूँ तो क्या?

विलंबित आवेदनों को केवल असाधारण परिस्थितियों में एकेडेमिक रजिस्ट्रार से अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किया जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो व्यक्तिगत या फिर मेडिकिल कारणों से आप यह फॉर्म समय पर जमा कराने में असमर्थ थे। उदाहरण के लिये:

- आप इतने बीमार थे कि आप समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाये। यदि ऐसा है तो, आपके डॉक्टर को इम्पैक्ट असैसमैन्ट सेक्शन में लिखना चाहिये कि आप 'totally incapacitated' थे
- आप डिप्रेशन से पीड़ित थे और समय पर काम नहीं कर पाये।
- सभी मामलों में, आपको अपने डॉक्टर से मिला एक नोट (note) अथवा एक काउंसलर से मिला पत्र जैसे अतिरिक्त प्रमाण अवश्य प्रदान करने होंगे

अब आगे क्या?

एक बार आवेदन जमा करा दिये जाने के बाद, स्पेशल कन्सीडरेशन पैनल के पास आपको जवाब देने के लिये दस कार्य दिवसों का समय होता है। यह उत्तर ईमेल से भेजा जायेगा इसलिये नियमित रुप से अपना विद्यार्थी ईमेल अकाउंट चैक करना याद रखें। यदि पैनल को और अधिक जानकारी चाहिये होगी अथवा वे सोचेंगे कि आप कुछ शामिल करना भूल गये हैं तो वे आपको ईमेल करेंगे तथा आपको वो चीज उनको 5 दिन के भीतर देनी होगी अन्यथा आपका आवेदन निरस्त हो जायेगा। ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निरस्त हुए आवेदनों पर अपील नहीं की जा सकती।

पैनल का निर्णय निम्निलखित में से एक हो सकता है:

- वैकल्पिक आंकलन - आंकलन के तरीके में एक बदलाव
- समय का एक्सटेंशन
- इक्वटिबल आंकलन व्यवस्था
- डेफर्ड आंकलन - विद्यार्थी के बीमारी/कंडीशन से उबरने के बाद आंकलन
- बिना शैक्षणिक पैनल्टी के लेट कोर्स विड्राअल की स्वीकृति
- आवेदन अस्वीकार होना। यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा तो, आपको ईमेल में उसके कारण बताये जायेंगे, साथ ही उसमें यह सलाह भी होगी कि युनिवर्सिटी अपील्स कमेटी में अपील कैसे की जाती है।

मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। मैं क्या कर सकता हूँ?

आप 10 कार्य दिवसों के भीतर युनिवर्सिटी अपील्स कमेटी से अपील कर सकते हैं। 'How to Appeal your Special Consideration rejection' शीर्षक वाला पत्रक देखें।

अन्य उपयोगी बातें

- यदि आपको कोई निरंतर चलने वाली या दीर्घकालीन बीमारी है तो, आप एक Equitable Assessment Arrangement के लिये आवेदन करने का सोच सकते हैं।. आपको सूचना www.rmit.edu.au/browse;ID=id0959jyz9mx पर मिल सकती है। आपके आंकलन से कम से कम चार सप्ताह हले फॉर्म्स जमा करा दिये जाने चाहियें।
- असाइनमैन्ट की अंतिम समय सीमा बढ़ाने के लिये एक अलग पॉलसिी है, जो सात दिन तक के एक्सटेन्शन की अनुमति देती है। इस आवेदन का फॉर्म http://mams.rmit.edu.au/seca86tti4g4z.pdf पर है तथा यह जरुरी है कि इसे निर्धारित तिथि (due date) से एक कार्यदविस पहले से ज़्यादा देर से जमा नहीं कराया जाये। सारे विद्यार्थी फॉर्म्स www.rmit.edu.au/students/forms पर उपलब्ध हैं।

निःशुल्क गोपनीय विद्यार्थी सेवायें

RMIT काउंसलिंग

फोन/ 9925 4365 (AH - कार्य समय से बाहर का समय) 9925 3999 (BH - कार्य समय)

ईमेल/ counselling@rmit.edu.au

हाउसिंग एडवाइजरी सर्विस

फोन / 9925 2963

www.rmit.edu.au/housing

डिसिबलिटी लियासन युनिट

फोन/ 9925 1089

ईमेल/ dlu@rmit.edu.au

www.rmit.edu.au/disability

Compass drop-in Centre

फोन/ 9925 2785

ईमेल/ compass@rmit.edu.au